डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 43/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या : ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई –कोलकाता/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या **43/2021-22**

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता (सीसीयू), में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख: 15 मार्च, 2022

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110 003

16 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सारांश पुन: नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टू-अप

4.12.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 6 में दिए गए विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तविक यातायात की मात्रा को स्वीकार करना।

4.12.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 7 में दिए गए विवरण के अनुसार यात्री और एटीएम यातायात को मानना।

4.12.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 31 के अनुसार वैमानिक आरएबी को मानना।

4.12.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 30 के अनुसार वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

4.12.5 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 34 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

4.12.6 प्रथम और द्वितीय नियंत्रण अवधियों से संबंधित भूमि की लागत पर प्रतिलाभ की अनुमति न देना

4.12.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 54 के अनुसार प्रचालन खर्च को मानना।

4.12.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव किए अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 63 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

4.12.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 67 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

4.12.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के लिए तालिका 71 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को कम वसूल की गई 1,585.27 करोड़ रूपए की राशि को अग्रेनित करना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण में मानना।

अध्याय 5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

5.6.1 प्राधिकरण ने तालिका 75 के अनुसार यात्री यातायात और एटीएम यातायात को मानने का निर्णय लिया है।

5.6.2 प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि में टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात को टू-अप करने का निर्णय लेता है।

अध्याय 6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यह्रास

6.6.1 पैरा 6.3.9 में उल्लेख किए अनुसार किसी भी विशिष्ट परियोजना के अनुमोदित पूंजीकरण के निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण/ पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

6.6.2 पैरा 6.5.2 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि से संबंधित पूंजीगत परिवर्धनों के लिए आईएमजी और आईएटीए की सिफारिशों के अनुसार 90:10 के टर्मिनल भवन अनुपात को मानना।

6.6.3 पैरा 6.5.1 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में पूंजीगत परिवर्धनों के लिए वित्तीय भत्ते की अनुमति न देना।

6.6.4 तालिका 93 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत परिवर्धनों को मनाना।

6.6.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 94 में दिए गए कुल वैमानिल परिसंपत्ति परिवर्धन को टू-अप करना।

6.6.6 चतुर्थ नियंत्रण अवधि में वास्तविक परिसपंत्ति परिवर्धन के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि में पूंजीकृत परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति आबंटन को टू-अप करना।

6.6.7 तालिका 95 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

6.6.8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धन और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.6.9 तालिका 96 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को मानना।

6.6.10 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक संख्या के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 7 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

7.6.1 तालिका 101 के अनुसार 14.00 % ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.2 तालिका 100 के अनुसार 6.21% ऋण की लागत को मानना।

7.6.3 पैरा 7.5.5 (तालिका 103) में परिकलित किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 13.38% एफआरओआर को मानना1

7.6.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण करने के दौरान एफआरओआर को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

8.6.1 पैरा 8.5.1 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 प्राधिकरण तालिका 112 में निर्धारित किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानने का निर्णय लेता है।

9.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय औचित्यपूर्ण और कार्यक्षम होने की शर्त पर वास्तविक संख्याओं के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को टू-अप करना

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक राजस्व

10.6.1 तालिका 117 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक-राजस्व को मानना।

10.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 11: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.6.1 तालिका 120 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।

11.6.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के अंत में वास्तविक कर बहिर्वाह के आधार पर वैमानिक कर आकलनों को टू-अप करना।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

12.6.1 पैरा 12.2.3 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के वृहत आर्थिक संकेतकों संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानों के 69वें सर्वेक्षण में दिए गए वित्त वर्ष 2021-22 के औसत डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति पूर्वानुमान के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 4.9% मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 13 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.6 1 सेवा की गुणवत्ता के कारण तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा

14.6.1 तालिका 126 के अनुसार एआरआर को तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए उपयुक्त एआरआर मानना।

14.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण कार्य के दौरान वास्तविक संख्याओं के आधार पर सभी विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों को टू-अप करना

अध्याय 15 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

15.6.1 तालिका 129 में दिए गए विवरण के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

15.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक संख्याओं के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

आदेश

17.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा आदेश के संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए एनएससीबीआईए, कोलकाता में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

17.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि से प्रभावी आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

17.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

कर्नल मनु सूदन
सचिव, ऐरा

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003

प्रतिलिपि,

1. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय**
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा,
   नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय**, एआईसी जारी करने के लिए

आदेश

15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा आदेश के संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए एनएससीबीआईए, कोलकाता में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

15.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि से प्रभावी आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

15.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

कर्नल मनु सूदन
सचिव, ऐरा

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003

प्रतिलिपि,

3. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय**
   राजीव गांधी भवन,
   सफदरजंग हवाईअड्डा,
   नई दिल्ली – 110 003

4. **नागर विमानन महानिदेशालय**, एआईसी जारी करने के लिए